राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ ( )/चि. व स्वा./आरोग्य राजस्थान/2015/47 दिनांक : 04-12-2015

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान

विषय : आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रो की एण्ट्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में करने के संबंध में।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2015–16 आरोग्य राजस्थान के अन्तर्गत आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रो की एण्ट्री हेतु सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा आरोग्य राजस्थान ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उक्त सॉफ्टवेयर में स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री व सॉफ्टवेयर के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण आपके जिले के जिला आशा कॉर्डिनेटर व जिला डाटा सहायक (डीपीएमयू) को दिनांक 02 व 03 दिसम्बर 2015 को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

आरोग्य राजस्थान स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की सॉफ्टवेयर में एण्ट्री शीघ्र प्रारम्भ की जानी है एवं जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र **डाटा एण्ट्री के केन्द्र** होगें । अतः इस संबंध में आपके जिले में निम्न कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण पूर्ण किया जाना है:–

1. जिला स्तर पर ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संगणक, ब्लाक प्रोग्राम मैनेजर, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर व स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री हेतु टेण्डर द्वारा जिला स्तर पर चुनी गई फर्म के प्रतिनिधि को दिनांक 06.12.2015 को प्रशिक्षण दिया जाना है।
2. ब्लाक स्तर पर अधिनस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारीयों, प्रत्येक डाटा एण्ट्री केन्द्र से डाटा रिर्पोटिंग से संबंधित एक कर्मचारी को प्रशिक्षण दिनांक 07.12.15 को दिया जाना है।
3. डाटा एण्ट्री केन्द्र पर पद स्थापित एलएचवी, एएनएम व अधिनस्थ उपस्वास्थ्य केन्द्रो पर पद स्थापित समस्त एएनएम को सॉफ्टवेयर में स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री के संबंध में एवं प्रपत्रों की गुणवता के संबंध में प्रशिक्षण दिनांक 08.12.15 को प्रत्येक डाटा एण्ट्री केन्द्र पर आयोजित किया जाना है।
4. फर्म द्वारा प्रत्येक डाटा एण्ट्री केन्द्र पर स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री दिनांक 09.12.15 से आवश्यक रूप से प्रारम्भ की जानी है। सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री उस ग्राम पंचायत की प्रारम्भ में की जावे जिसका कैम्प दिसम्बर 2015 (15 से 20 दिसम्बर 2015 तक) में लगने वाला है।
5. एएनएम अपने क्षेत्र के भरे हुए प्रपत्रों की पूर्ण जाँच कर ले कि वे प्रपत्र पूर्ण भरे हुए है अथवा नही। सॉफ्टवेयर में पूर्ण भरे गये प्रपत्रों की एण्ट्री ही सम्भव है। यदि पूर्ण भरें हुए नही है तो एएनएम ऐसे अपूर्ण प्रपत्रों को आशा से पूर्ण करवाकर संबंधित डाटा एण्ट्री केन्द्र को भिजवायेगी । सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रारम्भ में ऑफलाइन की जायेगी उसके पश्चात् सम्बन्धित उपकेन्द्र की एएनएम द्वारा वेरिफिकेशन किया जाकर डेटा ऑनलाईन किया जायेगा। वेरिफिकेशन पश्चात् ऑनलाइन करवाने की जिम्मदारी फर्म की होगी। डाटा ऑनलाइन होने के पश्चात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पदस्थापित डाटा रिर्पोटिंग से संबंधित कर्मचारी उक्त समस्त ऑनलाइन एण्ट्री की गुणवत्ता की जाँच करेगा कि फर्म द्वारा की गई एण्ट्री सही है अथवा नही। एण्ट्री में त्रुटि होने की स्थिती में उसे सही करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

arogya.rajasthan@gmail.com.

ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 09.12.15 से प्रत्येक डाटा एण्ट्री केन्द्र पर स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री प्रारम्भ कर दी गई है। फर्म प्रत्येक डाटा एण्ट्री केन्द्र पर दिनांक 09.12.15 से कम से कम एक डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (मैन विद मशीन) व डाटाकार्ड के साथ उपलब्ध करवायेगी जिसके बैठने की सुविधा डाटा एण्ट्री केन्द्र पर उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक ऐसे तकनीकि व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित की जावें कि वह संबंधित उपस्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम साथ मिलकर प्रपत्रों की सही एण्ट्री करवाना सुनिश्चित करे। स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों की एण्ट्री सुचारू रूप से सम्पन्न करवानें की समस्त जिम्मेदारी डाटा एण्ट्री केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की होगी।

(डॉ. नीरज के.पवन)
अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं : –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. राजस्थान।
2. विशिष्ठ शासन सचिव, चि., स्वा. एवं प. क. एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निदेशक (जन स्वा.) ।
4. निदेशक आरसीएच, ।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आरोग्य राजस्थान सॉफ्टवेयर में स्वास्थ्य सर्वे प्रपत्रों एण्ट्री सुचारू रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जोन कार्यालय, राजस्थान।
7. स्टेट नोडल अधिकारी, आरोग्य राजस्थान, मुख्यालय जयपुर।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/समस्त जिला आशा कोर्डिनेटर/जिला डाटा सहायक समस्त राजस्थान।
10. सर्वर रूम।

अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम)
निदेशक (आई. ई. सी.) एवं
संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

arogya.rajasthan@gmail.com